

FORM NO.III

प्रशासन गाँवों के संग  
अभियान-2021

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

ज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

राजेन्द्र सिंह बनाम रूखान्त

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 221/2021 प्राप

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
22/11/2021	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>राजेन्द्र सिंह</u></p> <p>पिता श्री <u>गोरामण सिंह जी राजपूत</u></p> <p>निवासी- <u>हालमा</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>हालमा</u></p> <p><u>पञ्च- 3, 4, 5</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>4, 11</u></p> <p><u>कीता 2 रकबा 4.3200 हे. रंग 41, 42, 43</u> <u>3.5500 0.7700</u></p> <p><u>2.27 2.50 1.48</u> <u>कीता 3 रकबा 6.2500</u></p> <p>कुल कीता ..... कुल रकबा ..... है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>हालमा</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>4, 11, 41, 42, 43</u></p> <p><u>3.55 0.77 2.27 2.50 1.48</u></p> <p>कुल कीता <u>5</u> रकबा <u>10.5700</u> है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>15000.00</u> रुपये अक्षरे <u>एक हजार पान्च सौ रूप</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><b>(श्याम सुन्दर विश्वादे)</b> सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p> 